फैक्स/अतिआवश्यक/समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

डीजी-परिपत्र सं0-07 /2013 दिनांकः फरवरी 16 ,2013

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0,
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0,
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समस्त प्रभारी,जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः-**मा0 उच्चतम् न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-8513/2012 The Dy.Inspector Genl. of Police and others बनाम एस0सामूथिरम मे Eve teasing के सम्बन्ध में दिनांक 30-11-2012 को पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरण "ईव टीसिंग" की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में कतिपय कठोर दिशा निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांकित 6 दिसम्बर 2012 के माध्यम से समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजते हुए मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिये गये इन दिशा निर्देशों को लागू कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-जीआई-04/6-पु0-15-2013 दिनांकित 17जनवरी 2013 द्वारा भी इन निर्देशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "ईव टीसिंग" को रोके जाने हेतु जो दिशा निर्देश दिये गये है, वे निम्नवत् हैः-

1- बस स्टैण्ड, तॉगा स्टैण्ड, रिक्शा स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मैट्रो स्टेशन, सिनेमा घर शापिंग माल, पार्क, बीचेस, सार्वजनिक वाहनों, धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में महिला पुलिस को सादे वस्त्रों में नियुक्त किया जाय, जिससे वे "ईव टीसिंग" की घटनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर सकें।

2- Strategic स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 लगाये जायें। जिससे समाज में भय रहे तथा ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिले, और दोषी चिन्हित कर पकड़े जा सकें।

3- शिक्षण संस्थाओं, पूजा स्थलों, सिनेमा थियेटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड के प्रभारी का यह दायित्व है कि वे "ईव टीसिंग" की घटनाओं, यदि उनके क्षेत्राधिकार में घटित होती है, तो उन्हें रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, तथा यदि उन्हें इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इसे तत्काल निकटतम पुलिस थाने को अथवा महिला सहायता केन्द्र को प्रेषित कर दिया जाय।

4- जब "ईव टीसिंग" की घटना सार्वजनिक वाहन में घटित होती है, चाहे यात्रियों द्वारा की गई हो, या वाहन के प्रभारी द्वारा हो, तो ऐसे वाहन के कर्मी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर उसे निकटतम पुलिस थाने पर ले जायेगें, तथा इसकी सूचना पुलिस को देंगे। ऐसा न किया जाना, वाहन के परिचालन के परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पर्याप्त होगा।

5- राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश बहुत से शहरों एवं कस्बों में महिला हेल्पलाइन स्थापित करें, जिससे "ईव टीसिंग" की घटनाओं को 3 माह के अन्दर नियंत्रित किया जा सकें।

6- समस्त सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा थियेटर, पार्टीस, बीचेस, सार्वजनिक वाहनों, पूजा स्थलों पर "ईव टीसिंग" की घटनाओं को रोके जाने हेतु चेतावनी भरे बोर्ड लगाये जांय, जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हों।

7- जिस किसी भी राहगीर ने इस प्रकार की घटनाओं को देखा हो, उनका भी उत्तरदायित्व है कि वे निकटतम पुलिस थाने अथवा महिला हेल्पलाइन को इस प्रकार की घटना की सूचना देकर अपराध से पीड़िता को बचायें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें, तथा "ईव टीसिंग" की घटनाओं को रोके जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करायें।

(ए0सी0शर्मा) 16/2/13
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।